App mail

पत्र संख्या– 1/प्रा0आ0–0–3–12/2017....92....../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार भा0प्र0से0,

अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,

जमुई/ सारण /गया /बाँका/पश्चिम चम्पारण/नालंदा/भागलपुर/कैमूर/सिवान/वैशाली/औरंगाबाद/मधेपुरा/अरवल/रोहतास/सुपौल/बेगूसराय/नवादा/सहरसा/कटिहार।

पटना–15, दिनांक– 21/9/17

विषयः– वर्त्तमान वित्तीय वर्ष–2017–18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष –02–बाढ़ –चक्रवात आदि, लघु शीर्ष –101– आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष –0016– राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान विपत्र कोड–39–2245021010016 मद में कुल ₹678.556 लाख (छः करोड़ अठहत्तर लाख पचपन हजार छः सौ रूपये) मात्र आवंटन की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत ।

2. इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष –2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष –02–बाढ़ –चक्रवात आदि, लघु शीर्ष –101– आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष –0016– राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. वर्त्तमान आवंटित राशि की विवरणी लघुशीर्ष / उपशीर्षवार निम्न प्रकार है :

लघुशीर्ष –101– आनुग्रहिक राहत ।

उपशीर्ष –0016– राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान

मांग संख्या– 39 विस्तृत शीर्ष– 37–अनुग्रह अनुदान, विषय शीर्ष– 01–अनुग्रह अनुदान

(राशि रूपये लाख में)

क्र0	जिला का नाम	मृत व्यक्तियों की संख्या	घायल व्यक्तियों की संख्या	मृत पशुओं की संख्या	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जमुई	11	0	1	64.00 (चौसठ लाख)	44.30 (चौवालीस लाख तीस हजार)	108.30 (एक करोड़ आठ लाख तीस हजार)	सामूहिक सड़क दुर्घटना, पानी में डूबने से, वज्रपात, लू
2	सारण	5	0	0	76.00 (छिहत्तर लाख)	20.00 (बीस लाख)	96.00 (छियानवे लाख)	पानी में डूबने से
3	गया	16	2	0	161.028 (एक करोड़ इकसठ लाख दो हजार आठ सौ)	64.17 (चौसठ लाख सतरह हजार)	225.198 (दो करोड़ पचीस लाख उन्नीस हजार आठ सौ)	सामूहिक सड़क दुर्घटना, पानी में डूबने से, वज्रपात
4	बाँका	5	0	0	76.00 (छिहत्तर लाख)	20.00 (बीस लाख)	96.00 (छियानवे लाख)	पानी में डूबने से, सामूहिक सड़क दुर्घटना
5	पश्चिम चम्पारण	2	0	0	80.00 (अस्सी लाख)	8.00 (आठ लाख)	88.00 (अठासी लाख)	सामूहिक सड़क दुर्घटना
6	नालंदा	27	2	0	164.385 (एक करोड़ चौसठ लाख अड़तीस हजार पाँच सौ)	108.17 (एक करोड़ आठ लाख सतरह हजार)	272.555 (दो करोड़ बहत्तर लाख पचपन हजार पाँच सौ)	पानी में डूबने से, वज्रपात, सामूहिक सड़क दुर्घटना

7	भागलपुर	22	0	0	120.00 (एक करोड़ बीस लाख)	88.00 (अठासी लाख)	208.00 (दो करोड़ आठ लाख)	पानी में डूबने से, वज्रपात, सामूहिक सड़क दुर्घटना
8	कैमूर	5	0	0	105.68 (एक करोड़ पाँच लाख अड़सठ हजार)	20.00 (बीस लाख)	125.68 (एक करोड़ पचीस लाख अड़सठ हजार)	पानी में डूबने से, सामूहिक सड़क दुर्घटना
9	सीवान	6	0	0	72.00 (बहत्तर लाख)	24.00 (चौबीस लाख)	96.00 (छियानवे लाख)	पानी में डूबने से, जहरीली गैस से
10	वैशाली	6	0	4	120.46 (एक करोड़ बीस लाख छियालीस हजार)	25.06 (पचीस लाख छः हजार)	145.52 (एक करोड़ पैतालीस लाख बावन हजार)	पानी में डूबने से, वज्रपात, सामूहिक सड़क दुर्घटना
11	औरंगाबाद	6	0	0	45.093 (पैतालीस लाख नौ हजार तीन सौ)	24.00 (चौबीस लाख)	69.093 (उनहत्तर लाख नौ हजार तीन सौ)	पानी में डूबने से, सामूहिक सड़क दुर्घटना
12	मधेपुरा	4	1	0	165.443 (एक करोड़ पैसठ लाख चौवालीस हजार तीन सौ)	16.043 (सोलह लाख चार हजार तीन सौ)	181.486 (एक करोड़ इक्यासी लाख अड़तालीस हजार छः सौ)	पानी में डूबने से, सामूहिक सड़क दुर्घटना
13	अरवल	1	0	0	20.30 (बीस लाख तीस हजार)	4.00 (चार लाख)	24.30 (चौबीस लाख तीस हजार)	पानी में डूबने से
14	रोहतास	6	2	0	152.127 (एक करोड़ बावन लाख बारह हजार सात सौ)	24.086 (चौबीस लाख आठ हजार छः सौ)	176.213 (एक करोड़ छिहत्तर लाख इक्कीस हजार तीन सौ)	सामूहिक सड़क दुर्घटना
15	सुपौल	2	1	0	72.00 (बहत्तर लाख)	8.127 (आठ लाख बारह हजार सात सौ)	80.127 (अस्सी लाख बारह हजार सात सौ)	सामूहिक सड़क दुर्घटना
16	बेगूसराय	12	0	0	260.127 (दो करोड़ साठ लाख बारह हजार सात सौ)	48.00 (अड़तालीस लाख)	308.127 (तीन करोड़ आठ लाख बारह हजार सात सौ)	पानी में डूबने से, सामूहिक सड़क दुर्घटना
17	नवादा	4	0	0	84.00 (चौरासी लाख)	16.00 (सोलह लाख)	100.00 (एक करोड़)	पानी में डूबने से, वज्रपात
18	सहरसा	5	0	0	289.29 (दो करोड़ नवासी लाख उनतीस हजार)	20.00 (बीस लाख)	309.29 (तीन करोड़ नौ लाख उनतीस हजार)	पानी में डूबने से, वज्रपात
19	कटिहार	24	0	2	216.00 (दो करोड़ सोलह लाख)	96.60 (छियानवे लाख साठ हजार)	312.60 (तीन करोड़ बारह लाख साठ हजार)	पानी में डूबने से, वज्रपात, सामूहिक सड़क दुर्घटना
कुल योग		**169**	**8**	**7**	**2343.933 (तेईस करोड़ तेतालीस लाख तिरानवे हजार तीन सौ)**	**678.556 (छः करोड़ अठहत्तर लाख पचपन हजार छः सौ)**	**3022.489 (तीस करोड़ बाईस लाख अड़तालीस हजार नौ सौ)**	

4. यह आवंटन जिला पदाधिकारी, जमुई के 156 दिनांक 19.08.17, 157 दिनांक 19.08.17, 167 दिनांक 29.08.17, 162 दिनांक 25.08.17, 155 दिनांक 18.08.17, 154 दिनांक 18.08.17 एवं 173 दिनांक

07.09.17/सारण के पत्रांक 892 दिनांक 27.08.17/गया के पत्रांक 139 दिनांक 25.08.17, 2398 दिनांक 30.08.17, 2489 दिनांक 01.09.17, 2499 दिनांक 04.09.17, 2501 दिनांक 04.09.17, 145 दिनांक 08.09.17, 146 दिनांक 08.09.17, 2556 दिनांक 08.09.17, 143 दिनांक 08.09.17, 144 दिनांक 08.09.17, 2551 दनिांक 08.09.17 एवं 147 दिनांक 08.09.17/बाँका के पत्रांक 222 दिनांक 24.08.17, 232 दिनांक 29.08.17 एवं 243 दिनांक 09.09.17 /पश्चिम चम्पारण के पत्रांक 81 दिनांक 26.08.17/नालंदा के पत्रांक 877 दिनांक 26.08.17, 847 दिनांक 23.08.17, 910 दिनांक 05.09.17, 908 दिनांक 05.09.17, 807 दिनांक 12.08.17 एवं 943 दिनांक 12.09.17/भागलपुर के पत्रांक 651 दिनांक 28.08.17, 650 दिनांक 28.08.17, 685 दिनांक 07.09.17 एवं 682 दिनांक 07.09.17 /कैमूर के पत्रांक 438 दिनांक 28.08.17, 457 दिनांक 06.09.17 एवं 475 दिनांक 14.09.17 /सिवान के पत्रांक 654 दिनांक 30.08.17 एवं 712 दिनांक 09.09.17 /वैशाली के पत्रांक 770 दिनांक 29.08.17, 795 दिनांक 01.09.17, 812 दिनांक 12.09.17 एवं 813 दिनांक 12.09.17/औरंगाबाद के पत्रांक 473 दिनांक 16.08.17, 515 दिनांक 04.09.17 एवं 536 दिनांक 11.09.17/मधेपुरा के पत्रांक 591 दिनांक 30.08.17, 649 दिनांक 09.09.17 एवं 675 दिनांक 12.09.17/अरवल के पत्रांक 203 दिनांक 28.08.17/रोहतास के पत्रांक 292 दिनांक 30.08.17, 295 दिनांक 30.08.17, 297 दिनांक 30.08.17, 296 दिनांक 30.08.17 एवं 293 दिनांक 30.08.17/ सुपौल के पत्रांक 1144–2 दिनांक 05.09.17/बेगूसराय के पत्रांक 499 दिनांक 30.08.17/नवादा के पत्रांक 327 दिनांक 26.08.17, 348 दिनांक 14.09.17, 345 दिनांक 13.09.17 एवं 346 दिनांक 13.09.17/सहरसा के पत्रांक 158–1 दिनांक 09.09.17, 153–1 दिनांक 07.09.17, 151–1 दिनांक 07.09.17, 154–1 दिनांक 07.09.17 एवं 152–1 दिनांक 07.09.17 /कटिहार के पत्रांक 1034 दिनांक 13.09.17 एवं 1033 दिनांक 13.09.17 द्वारा की गई अधियाचना के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। **संबंधित जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वे विभागीय अधिसूचना संख्या 1418/आ0प्र0 दिनांक 17.04.15 के आलोक में स्वयं संतुष्ट हो लें कि 'राज्य की विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदाओं की श्रेणी में ही आती है।' संतुष्ट होने के उपरान्त राज्य की विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदाओं की श्रेणी की घटना के लिए ही राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाय। घायलों, मृत व्यक्तियों के आश्रितों एवं पशुमालिकों को इस राशि का भुगतान कर विभाग को इसकी सूचना अविलम्ब दी जाय।**

5 आवंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नही किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

6. आपदा प्रभावित परिवारों को देय अनुदान की राशि का भुगतान करने के संबंध में विभागीय पत्रांक 1642/आ0प्र0 दिनांक 22.04.16 द्वारा निर्गत निदेश का पालन सुनिश्चित किया जाय।

7 **आवंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धरित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2018 तक अवश्य भेज दिया जाय।**

8. पूर्व आवंटित राशि, जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गई है, यदि पूर्णतः व्यय नही हो पाय, तो 15.03.2018 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।

9. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/ उप मुख्य शीर्ष- लघु शीर्ष/ उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/ उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

10. इस राशि का व्यय वित्त विभागीय ज्ञापांक 2561/वि0(2) दिनांक–17.04.98 के आलोक में की जाय। व्यय की गई राशि का महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से मिलान कराया जाय।

11. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15.03.2018 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

12. इस आवंटन आदेश के प्राप्ति के पश्चात पत्र की एक प्रति पर ''आवंटन प्राप्त हुआ'', यह सम्पुष्टि

उल्लिखित करते हुए तुरंत रिटर्न फैक्स से विभाग को सूचित किया जाय।

13. इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना, वित्त (बजट) को भी दी जा रही है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।

14. मासिक व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

21/9/17

अपर सचिव

ज्ञापांक-......92....../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 21/9/17

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट) पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

21/9/17

अपर सचिव

ज्ञापांक-......92....../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 21/9/17

प्रतिलिपि: संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/9/17

अपर सचिव

ज्ञापांक-......92....../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 21/9/17

प्रतिलिपि: संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/9/17

अपर सचिव

ज्ञापांक -......92....../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 21/9/17

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

21/9/17

अपर सचिव

ज्ञापांक-......92....../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 21/9/17

प्रतिलिपि: विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी (बजट)/ प्रशाखा पदाधिकारी (स्थापना)-सह- प्रभारी सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/ कार्यवाह सहायक/ आई0टी0 मैनेजर/प्रभारी, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/9/17

अपर सचिव